मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,उ0प्र0

तृतीय तल,अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ

फैक्स नं0–0522–6666192
फोन नं0–0522–6666162, 6666163

ई मेल–lkomdm@gmail.com
Website : www.upmdm.org

पत्रांकः म0भो0प्रा0/सा0/C-978 /2019–20 दिनांक : 18/07/2019

सेवा में

1. समस्त जिलाधिकारी,
   उ0प्र0।
2. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
   उ0प्र0।

विषयः मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत अतिरिक्त पोषक तत्व उपलब्ध कराये जाने के निमित्त फ्लैक्सी फण्ड से माह में एक दिवस (अन्तिम बृहस्पतिवार) ताजा एवं मौसमी फल उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संः 381/79–6–2016–1869/2015 दिनांकः 03 मई, 2016 द्वारा मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत निर्धारित साप्ताहिक मेन्यू में अतिरिक्त पोषक तत्व उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से सप्ताह में एक दिवस ताजा एवं मौसमी फल उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में छात्रों को फल वितरण के दृष्टिगत प्रथम किश्त के रूप में जनपदों को धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है।

उक्त व्यवस्था के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा दिनांकः 13.06.2019 को आहूत प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड की बैठक में फ्लैक्सी फण्ड के अन्तर्गत माह में 01 दिवस (10 माह) हेतु छात्रों को ताजा एवं मौसमी फल उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके अनुक्रम में माह जुलाई, 2019 से प्रत्येक माह के अन्तिम बृहस्पतिवार को ताजा एवं मौसमी फल निम्नानुसार वितरित किया जायेगाः–

1. प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्रों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त पोषक तत्व उपलब्ध कराए जाने हेतु छात्र–छात्राओं को प्रत्येक माह के अन्तिम बृहस्पतिवार को मौसमी एवं ताजे फल वितरित किये जायेंगे, जिसके दृष्टिगत स्थानीय स्तर पर सुगमता से उपलब्ध ताजे एवं मौसमी फल यथा–अमरूद, केला, सेब, संतरा, नाशपाती, चीकू, आड़ू, शरीफा आदि वितरित किए जा सकते हैं।
2. **माह जुलाई, 2019 के अन्तिम बृहस्पतिवार से योजना प्रारम्भ की जायेगी।** योजनान्तर्गत प्रत्येक माह में एक दिवस प्रति छात्र एक फल वितरित किया जाना है, जिस हेतु रू0–4/– (चार रूपये) फल की अनुमानित लागत आकलित की गयी है।
3. फल वितरित किए जाने का दिवस "माह का अन्तिम बृहस्पतिवार" निर्धारित किया जाता है। माह के अन्तिम बृहस्पतिवार को अवकाश होने की दशा में अगले शिक्षण दिवस में फल वितरित किया जायेगा।

4. योजनान्तर्गत छात्रों को फल सुबह स्कूल आते ही 'मॉर्निंग स्नैक' के रूप में दिया जाए, इससे उन्हें पठन–पाठन के पूर्व वांछित मात्रा में कैलोरी प्राप्त हो सकेगी तथा फल एवं मध्यान्ह भोजन खाने के बीच में पर्याप्त अंतराल भी रहेगा।

5. योजनान्तर्गत छात्रों को कटे फल यथा–पपीता/तरबूज/खरबूजा इत्यादि वितरित नहीं किए जाएंगे, ताकि फलों में किसी भी प्रकार के संक्रमण की आशंका न रहे तथा किसी भी दशा में बासी, सड़े–गले व खराब फल वितरित नहीं किए जाएंगे।

6. वितरित किए जाने वाले फल का वजन एवं आकार औसत होना चाहिए। यदि फल औसत आकार से छोटा है तो उस फल की संख्या बढ़ा दी जाए। छात्र–छात्राओं को फल अच्छी तरह धोकर वितरित किए जाएंगे।

7. योजनान्तर्गत विद्यालय स्तर पर गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति (एसएमसी)/मॉ समूह के सदस्य भी फल वितरण के समय उपस्थित रहेंगे।

8. योजनान्तर्गत फल वितरित किए जाने हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि भी **''फ्लैक्सी फण्ड–फल''** नामक मद के अन्तर्गत ''मध्यान्ह भोजन निधि'' में अंतरित की जायेगी, जो परिवर्तन लागत की भांति आवश्यकतानुसार खाते से आहरित की जायेगी तथा स्थानीय स्तर पर फल क्रय किये जायेंगे।

9. शासन द्वारा जनपद की अनुमोदित छात्र संख्या के अनुरूप फलैक्सी फण्ड के अन्तर्गत फल वितरण हेतु वित्तीय स्वीकृति शीघ्र ही पृथक से निर्गत की जायेगी। संबंधित वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने तक 'सप्ताह में एक दिवस फल उपलब्ध कराने हेतु' पूर्व निर्गत धनराशि से ही माह के अन्तिम बृहस्पतिवार को फल की व्यवस्था की जायेगी, जिसका समायोजन स्वीकृति निर्गत होने पर किया जायेगा।

10. उक्त धनराशि जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखी जायेगी तथा MPR/QPR में उपभोग अंकित किया जायेगा।

कृपया उक्त योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएं तथा प्रति माह जनपद में फल वितरण की सूचना नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

भवदीय

(विजय किरन आनन्द)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांकः उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0), उ0प्र0।
5. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

(विजय किरन आनन्द)
निदेशक